~~टिकिट~~ ~~पोड़े~~ न्यायालय

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ~~ग्वालियर~~ केम्प सागर

R-2471-III/14

हबीब खां तनय मजीद खां
निवासी ग्राम गुलगंज तह. बिजावर ....निगरानीकर्ता
जिला छतरपुर

विरूद्ध

1. भगवानदास तनय रल्ली बसोर
2. नथुवा तनय बाबूलाल जोगी बसोर
   सभी निवासी ग्राम गुलगंज तह. बिजावर
   जिला छतरपुर ....अनावेदकगण
3. म.प्र.शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/8/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुलगंज स्थित भूमि खसरा क्र 1335/4 एंव 1335 का पट्टा विधिक प्रक्रिया के विपरीत निगरानीकर्तागण व ग्राम वासियों को कोई जानकारी दिए वगैर बिना कोई उदघोषणा एंव इश्तहार जारी किए हुए अनावेदकगण के पक्ष में किया गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर सुनवाई उपरांत अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा निगरानीकर्ता की अपील विधि विपरीत रूप से निरस्त कर दी गयी जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अपर आयुक्त सागर द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(28)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 2471–तीन/2014** **जिला छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–03–2015	आवेदक अधिवक्ता को समयसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर तथा कायमी के बिन्दु सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 243/अ–19/2002–2003 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 2–8–2010 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक द्वारा यह निगरानी 4 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, धारा 5 के आवेदन पत्र में इतने अधिक विलम्ब के संबंध में कोई समाधानकारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, केवल निगरानीकर्ता का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब रहना दर्शाया है इससे विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रथमदृष्टया प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	